

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पी एक्ट, 1956), पंजीकृत कार्यालय— वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी. एम.रोड, फार्ट, मुम्बई— 400001 तथा शाखा कार्यालय — 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।
— प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री नवीन कुमार सिंधी पुत्र श्री चुन्नी लाल सिंधी, पता — 48, बिछु मंगी, वार्ड नम्बर 2, नाथद्वारा उदयपुर (राज.) 313301
एवं
निवासी — मकान नम्बर ए— 13, श्रीनाथ नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नाथद्वारा, राजसमन्द, उदयपुर (राजस्थान) 313301
एवं
कार्यालय पता— सिंधी कॉलोनी, नाथद्वारा, राजसमन्द, उदयपुर(राजस्थान) 313301
—ऋणी/बंधककर्ता
2. दीपक खुरेजा पुत्र श्री चुन्नी लाल सिंधी, निवासी ए— 13, तेलियों का तालाब, नाथद्वारा, राजसमन्द, उदयपुर (राजस्थान) 313301
3. श्रीमती सपना साधवानी पत्नि श्री नवीन कुमार सिंधी, निवासी — 48, बिछु मंगी, वार्ड नम्बर 2, नाथद्वारा उदयपुर (राज.) 313301
4. कशिश हसिजा, निवासी — 48, बिछु मंगी, वार्ड नम्बर 2, नाथद्वारा उदयपुर (राज.) 313301

—सहऋणी
—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 49/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 09.11.2021</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 30.09.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम.रोड, फार्ट, मुम्बई— 400001 तथा शाखा कार्यालय — 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं। मुकेश कुमार यादव उक्त कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी हैं।</p>	



अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 00002139 के द्वारा 41,25,641/-रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्क्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति - आवासीय मकान ए- 13, श्रीनाथ नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 10.12.2020 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खातो को एन.पी.ए. घोषित कर दिया हैं। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 00002139 में बकाया रूपये 45,46,814/-रूपये (अक्षरे पैतालिस लाख छियालिस हजार आठ सौ चौदह रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.03.2021 तक शेष व देय निकलते हैं कि मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये तथा उक्त धारा 13(2) के दोनो नोटिस, दिनांक 14.06.2021 को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में दी इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित करवाये गये परन्तु धारा 13(2) के दोनो नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी हैं उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजो के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं। आवासीय मकान ए- 13, श्रीनाथ नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 1547 वर्गफीट हैं जो कि नवीन कुमार सिंधी पुत्र श्री चुन्नी लाल सिंधी एवं श्री दीपक सिन्धी पुत्र श्री चुन्नी लाल सिन्धी के स्वामिन्व की है। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उक्त चरण सं० 5 में वर्णित सिक्क्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 29.04.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए०डी० की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांक: 14.06.2021 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे में आबादी भूमि का विनियमितिकरण विलेख के अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :- आवासीय मकान ए- 13, श्रीनाथ नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं।



7

जिसका कुल क्षेत्रफल 1547 वर्गफीट है जिसकी चतुर्सीमा पड़ोस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम - गौरी शंकर पालीवाल का मकान, उत्तर - आम रास्ता, दक्षिण - भुखण्ड श्री किशन लाल दवे।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द